ersons the said ार्थ to remit the भाग 1-क। hin a month of

### औद्योगिक विकास विभाग

अनुमाग-4 अधिसूचना 27 मई, 2011 ई0

year (s). operty to be

m the tax on

स0 929/77-4-11-158 एन0/85-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियन, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (2) और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समरत शवितयों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता हैं-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(एक) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011 कही जाएगी।

(दों) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

2-विनियमं 24.4 का संशोधन-नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 जिसे आगे जक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये विनियम 24.4 के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात -

स्ताम-1 विद्यमान विनियम भू-आच्छादन, फशी क्षेत्रफल अनुपात एवं ऊंचाई

स्तम्भ-2 एतवद्वारा प्रतिरधापित विनियम भू आच्छादन, फशी क्षेत्रफल अनुपात एवं छांचाई

	24.4 वाणिजिय	क भवन				- 24.4 वाणिजियव	भवन		
590 290	उपयोग	अधिकतम् म्-आम्छादन	अधिकतम कड़ी क्षेत्रकल अनुपात	अधिकतम स्त्रवाई मीठ में	2F0 250	उपयोग	ঠায়িকরণ মূ-আব্দাবণ		अधिकतम स्रापाई मेश में
t	धुमम विष्णन केन्द्र	40%	2.0	24.0	1	सुगम विधणन गरेन्द्र	40%	2.0	24.0
2	रावटर विपणन केन्द्र	40%	2.0	24.0	2	सेवटर विधणन केन्द्र	40%	2.0	24.0
3	उप जिला केन्द्र, महायोजना गर्ग किनारे विषणन/वाणिज्यिक उपगोग तथा सेक्टरों में अन्य महायोजना स्तरीय विषणन/वाणिज्यिक सेन्द्र				3	खप जिल्ला छेन्द्र, पक्षायोजना सानी किनारे डिपणन/द्याणिजियक छपनीन तथा सेक्टरों में विश्वत अन्य महाचीजना स्तरीय विपणन-प्याणिजियक फेन्द्र		40	सीगा नही
	(i) 80 मीठ राक चीड़े नाने घर	30%	3.0	रोगा नहीं					
	(ii) 60 मीठ लक से अधिक बॉर्च मार्ग पर	30%	4.0	सीमा नहीं					
4	ਈਟਰ .	30%	3.0	सीमा नहीं	4	होटल	40%	3.0	बीमा नही
5:	Rep	30%	1.5	सीमा नहीं	6	विक	40%	2.0	सीमा नहीं
6	क्ता / मल्टीप्लयस / सिनेखेला	30%	सासकीय गीति के अमुसार	सीमा नहीं	6	शिनेना / मर्ज्याकीयरा / सिनंपर्यका	40%	20	सीमा नहीं
7	तेमर हासस्थि/गोदाम	60%	1.5	शीमा नही	7	वेगर हाउसिंग/गोनाम	60%	2.0	सीमा नहीं

टिप्पणी-प्राधिकरण 4 हेक्टेयर तथा इससे बड़े आकार के वाणिज्यिक भूखण्डों में अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के अधिकतम 30% को आवासीय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात कर सकता है, परन्तु पूर्ण भूखण्ड पर वाणिज्यिक भूमि की दर लागू होगी।

8 सिटी सेंटर

icer),

rchayat.

tion 135 ad with \*\*\*\*\*\*\*\*\*

s, 2002 of Zila · tax. rd on

urned.

ity),

3-विनियम 24.6 का संशोधन-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.6 के स्थान पर स्तम्म-२ में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा अर्थात : 🦠

> रतम्भ-1 विद्यमान विनियम

स्तामा-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

	24.6 8	रित क्षेत्र				24.	s हरित क्षेत्र		
(40)	क्रियार्थ	अधिकत्। अनुमन्य मृन्यासम्बद्धन	अधिकतः। अपुनन्य पत्नी शंत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्ध ऊपाई (मीठ)	100 100	क्रिग्यार्थे	अभिकलम अनुमन्ध मुन्त्राच्छावन	अधिकतम् अनुमन्य कशी वेत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्य संग्रह बीं() में
1	कीता एवं आगोद संबुल (पर्यंतरे एवं एम्यूजमेट कान्यतंत्रता) रारणताल, शृटित रेज, स्टेडिया, मगोरतन बीन/यीन पार्छ काम्यतेवरा खेल प्रक्रियाओं सरित	20%	0.40+0.20 क्रथ योग्य	24.0	3	क्रीजा संस्कृत / स्टेडियम	20%	0.40 (0.20 (तथ श)स्य	24.0
2	निस्त गनाल क्षीता एवं आमीद निर्देश मनोरजन बलब, सामाजिक सारकृतिक केन्द्र	10%	0.201+0.10 इत्या योगस	24.0	2	आगोद संयुप्त	20 <sup>®</sup> 6	0.40+0.20 वस्य धोरम्	24,0
3.	सरधागत हरित	35%	०.८० १० २० १९४४ थीरच	मंदल संस्थापत स्तिशाओं के लिए	3	मनारंजन हरित	$2\delta^{\alpha}_{+\nu}$	0.40+0.20 क्षय योग्य	24.0
4.	नसंरी	50 तमे मीठ	50 वर्ग मीए	0.0	4	संस्थामत हरित	3574	0.80+0.20 केवल संस्थामत क्रियामी हेतु क्रय सीस्य	सीमा नहीं
5		51		1.00	5	स्तोर्ट सिटी*	30%	150	सीमा नहीं

टिप्पणी-\*प्राधिकरण समय-सगय पर यथा अपेक्षित स्पोर्ट सिटी परियोजना के विकास हेतु भू-उपयोग पद्धति, अनुमन्य क्रिया-कलापों यथा आवासीय, वाणिज्यिक आदि के मिश्रण, नियोजन मानक तथा योजना में अन्य आवश्यक शतौं का अवधारण करेगा। फिर भी न्यूनतम 70% भूमि का उपयोग खेलकृद तथा सम्बन्धित सविधाओं के लिए किया जायेगा 70% भूमि में आवश्यक सभी खेलकुट तथा सम्बन्धित सुविधाओं के बाद आप्रयुक्त एफ0ए0आरंग के भाग का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए अनुमन्य किया जायेगा।

आज्ञा से. वीं एन गर्ग प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 929/77-4-11-158N./85, dated, May 27, 2011:

### No. 929 /77-4-11-158N./85 May 27, 2011

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010.

### THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2011

- 1. Short title and commencement-(i) These regulations shall be called the New Okhla ndustrial Development Area Building (First Amendment) Regulations, 2011.
  - (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Am gulations, 2 low, the reg 4 COMM

Ground Cov

Convenient 51 Sector Shoppi Sub-District ( Commercial roads and or Shot level Centres in sec (i) upto 60 m (ii) more than roads. Hotel Banks

Warehousing

Cinema Mult

NOTE: tivities in t that of the 3. At

olumn I be

O. Sports Complex.

Pool.

Recreationa Complex w Low Den Amusemen Recreationa Culture Cer

Institutiona

Numery

NOT tesidential,

rom time to e used for roviding a 6 के खान पर

अशिकतम्

अन्मञ्

क्षेत्राई मीठ में

24.0

240

24.0

शीमा नहीं

तम

20

VZT.

विद्या

भुगव

2. Amendment of regulation 24.4—In the New Okhla Industrial Development Area Building egulations, 2010 hereinafter referred to as the said regulation, for regulation 24.4 set out in Column 1 flow, the regulation as set out in Column 2 shall be substituted namely:

### .4 COMMERCIAL BUILDINGS--

### Column I

Existing regulation

#### Column 2

Regulation as hereby substituted

-	round Coverage, Floor	and the second second		The second secon		ound Coverage, Floor	and the second second second	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	shalled at the same of the first plants of a
i. 3.	Usu	Maximum ground Coverage	Maximum FAR	Maximum height in meters	SI. no.	Use	Maximum ground Coverage	Maximum 1 AR	Maximum height in meters
	Convenient Shopping Centre	40%	2.00 -	24.00	- 1	Convenient Shapping Centre	40705	2.00	24.00
2	-Sector Shopping	40%	2.00	24.00	2	Sector Shopping	40%	2.00	24,441
3	Sub-District Centre, Shopping/ Commercial uses along MP roads and other Master Flan level Shopping/Commercial Centres in sectors situated on:				3	Sub-District Centre, Shopping/ Commercial uses along MP roads and other Master Plan level Shopping/Commercial Centres.	40%	4 00	No finat
	(i) upto 50 mars, wide road	30%	3.00	No limit					
	<li>(ii) more than 60 mms, wide roads.</li>	30%	4,00	No limit					
4	Hotel	30%	3.00	No limit	4	Hotel	40%	3.061	No tunit
5	Banks	30%	1.50	220	5	Banks	40%	2.00	
íı.	Cinema/Multiples/Cineples	30%	As per Govi Policy	No limit	6	Cinema Multiplex Cineples	407%	2.00	No limit
7	Warehousing Godowns	60%	1.50	No fimit	7	Warehousing/Godowns	Cit.3"	7.00	Not from
8	**	4.0			8	City Centre	43%	4.50	No time

Note--The Authority may allow maximum 30 per cent of permissible F.A.R. for Residential ctivities in the Commercial plots of 4 hectare and above size, but the applicable on the total plot shall e that of the commercial land.

3. Amendment of regulation 24.6—In the said regulations, for regulation 24.6 set out in folumn 1 below the regulation as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column-1

Existing regulation

Column-2

Regulation as hereby substituted

24.6 Green Areas

	24.0 Gre	en Arcas	6			24.0 U	reen Areas	š	
Sl. no.	Use	Maximum ground Coverage	Maximum FAR	Maximum height in meters	SI, no.	Use	Maximum permissible ground Coverage	Maximum permissible EAR	Maximum height in meters
1	Sports and Amusement Complex Stadia, Swimming Pool, Shooting Range, Recreational Green Park Complex with sports facilities		0.40+0.20 Purchasable	24.0	1	Sports Complex/Stadium	20%	0.40+0.20 Purchasable	2430
2	Low Density sports and Aumsenients Complex, Recreational Club, Social Culture Centre.	10%	0.20+0.10 Purchasable	24.0	2	Amusement Complex	2000	(1.40+0.20) Parchasable	24.0
3	Institutional Green	35%	0.80±0.20 Parchasoble	Only for institutional Activity	3	Recreational Green	20%	0.40+0.20 Punchasable	2410
4	Nursery	SU sq. mars.	50 sq. mils.	6,0	4	Institutional Green	35%	0.80 (0.20) Purchasable only for Institutional activity	
5	(max)	59	-	115	5	Sport City®	30754	1:50	No limit

NOTE—\*The Authority shall determine land use pattern, mix of permissible activities like Residential, Commercial etc., Planning norms & other required conditions in the scheme as required from time to time for the development of sports city Project. However, minimum 70 per cent land shall be used for sports and related facilities. Unutilized part of F.A.R. in the 70 per cent area, after providing all the required sports and related facilities, shall be allowed for residential purpose.

By order, V. N. GARG, Principal Secretary,

भीना नहीं ग पद्धति, यक शर्ता । जायेगा उपयोग

से, गर्ग, वेद। nor is 4-11-

> drial desh and tent rial

T)

ala



# प्रदश सरकार द्वारा प्रका

# इलाहाबाद, शनिवार, 20 अवदूबर, 2012 ई० (आर्रिवन 28, 1934 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दयाई हुई कई की गांठों का धिवरण-पत्र, जन्म-भरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों शीर मरने वालों के आंकर्ड, फराल और ऋतु राम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूबना, विज्ञापन इत्यादि। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

> अधिराचना 23 दिसम्बर, 2011 ई0

रांठ नोएडा / मुठ थाठ निठ / 2011 / 1590 – उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम रांद्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रवेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रवेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (2) एवं धारा 19 के अधीन प्रवत्त शर्वित और इस निमित्त गण्य सार्थकारी शिक्तयों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण निम्निट:खित विनियमायली बनाता छै-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विक्रीय संशोधन) विनियमावली, 2011 1-संकिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह विनियमागती नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (द्वितीय

संशोधन) विनियमावली, 2011 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के विनांक से प्रवृत्त होगी।

2-विनियमों में संशोधन- नदीन ओखला औद्योगिक विकाश क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 जिसे आगे उक्त विनियमायली कहा गया है, में धारकानी, खायवान और भवन/परियोजनाओं के लिए सामान्य उपवन्ध के सम्बन्ध में विनियमायली में निम्नलिखित संशोधन अलग-अलग किये जाते हैं-

वालकनी से सम्बन्धित विनियम में संशोधन

(1) विनियम 24.1 के उप विनियम (2) के खण्ड (आठ) में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये उपखण्ड में आठ/ज के रथान पर रतमा-२ में विया गया सपखण्ड रखे दिया जायेगा, अर्थात-

T-1-17

विद्यमान एप खण्स

(ज) बालकानी (1.50 मीटर चौडाई सक, यदि वालकानी 1.50 मीटर से अधिक प्रस्तावित की गयी हो इसके 1/4 क्षेत्रफल की एफ०ए०आए० में पणना की जायेगी), आलमारी (0.60 मीटर चौड़ी), जीमा, शिपट, जीने की ममटी, निर्गत खिड़कियां। एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

(ज) 1.50 नीटर घौडाई तक सालकनी की गणना एफ्ठएअपर में सम्मिलित नृही की जायेगी। 1.5 से ्राधिक तथा 3.0 मी० चौड़ाई तक बालकर्गा के 1/4 क्षेत्रफल की गणना एफ०ए०आए० में की जायेगी। आलगारी (0.80 मीटर चौडी), जीना, लिफ्ट, जीने की भगटी, निर्गत खिड़कियां। उक्त उपयन्ध इस शर्त के साध अनुमन्य होगा कि सैटबैक सम्बन्धी अपेक्षाओं का चरलायन न हो तथा बालकनी से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि च परिधागत हरित भू-जपयोग पर लागू नहीं होंगे।

(2) विनियम 24.2.1 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप विनियम (3) के खण्ड (पांच) के स्थान पर रताग-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-

#### VE 177-1

### विद्यमान खण्ड

(पांच) बालकनी (1.50 मीटर वौडाई तक, एफ०ए०आए० से मुक्त एवं 1.50 मीटर से अधिक की चौड़ाई की वालकनी का आधा क्षेत्र एफ0ए0आए0 में समिलित होगा) का निर्माण सैटबैक में 6.00 मीटर की चौड़ाई का स्पष्ट गलियारा अग्नि रास्क्षा हेत् छोड़ने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

VIII-2

### एतव्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ0ए0आर० में सम्मिलित नहीं की जायेगी। 1.5 मी० सं अधिक और 3,0 मी० चौड़ाई तक वालकनी के एक चौथाई क्षेत्रफल को एफ०ए०आर० में सिमलित किया जायेगा। खुले सैटबैक में बालकनी को निकाला जा राकेगा परन्त वाउन्डी के साध-साथ अग्नि शामक वल के रांचरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का स्पष्ट स्थान चपलका हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सैटबैक के लिए आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित उपवन्ध कथि और संस्थागत हरित भू-सपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(3) विनियम 24.3.1 में, नीचे रताम-1 में दिये गये उप विनियम (3) में खण्ड (पांच) के रथान पर रताम-2 में दिया गया खण्ड रख विया जायेगा, अर्थात-

#### रताम-1

### विद्यमान खण्ड

उपरान्त अनुमन्य होगा।

रतम्म-2

### एतदहारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) वालकनी (1.50 गीटर चौड़ाई तक, - (पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ०ए०आर० से मुक्त) का निर्माण सैटवैक में 6.00 मीटर एफ०ए०आर० में समिलिस नहीं की जायेगी। 1.5 मीठ से की चौड़ाई का स्पन्ट गलियारा अग्निसुरक्षा हेतु छोड़ने के अधिक और 3.0 मीठ चौड़ाई तक बालकनी के एक चीथाई क्षेत्रफल को एफ0ए0आरव में राम्मिलित किया जायेगा। खुले सेटबैक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बाउन्हीं के साथ साथ अग्नि शामक दल के संचरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का स्पष्ट रायान उपलब्ध हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लाग होंगे कि सैटवैक के लिए आवस्यकता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और वालकनी सं सम्बन्धित उपवन्ध कृषि और रांस्थागल हरित भू-लपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(4) विनियम 24.4.1 में, नीचे रतम्म-1 में दिये गये उप विनियन (3) में खण्ड (पांच) के रधान पर रतम्म-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### एतमा-१

#### विद्यमान खण्ड

(पांच) बालकनी (1.50 मीटर चीडाई तक - एफ०ए०आए० से मुक्तं) का निर्माण सैटबैक में 6.00 मीटर की चौड़ाई का स्पष्ट गलियारा अग्निस्रक्षा हेतु छोड़ने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

#### रताम-2

# एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक भालकः. 🗝 गणना एफाण्ए०आए० में सम्मिलित नहीं की जायेगी। 1.5 गी० से अधिक और 3.0 मी0 चौड़ाई तक बालकनी के एक चीपाई क्षेत्रफल को एफ०ए०आए० में समिनित किया जायेगा। खुले सँटबैक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बातन्द्री के साथ-साथ अग्नि शामक दल के संचरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का रमन्ट स्थान जपलब्ध हो। जपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सैटबैक के लिए आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थागत हरित शु-उपयोग े लिए लागू नहीं होंगे।

(5) विनियम 24.5.1 में, नीचे स्तम्म-1 में दिये गये छप विनियम (3) में खण्ड (पांच) के रथान पर स्तम्म-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-

#### 7(1H-1

### विद्यमान खण्ड

(पाच) बालकनी (1.50 मीटर चौड़ाई तक, एफ0ए0आर० रो मुक्त) का निर्माण सैटवैक में 6.00 मीटर की चौड़ाई का स्पष्ट मलियारा अग्निसुरक्षा हेतु छोड़ने के उपरान्त अनुगन्य होगा।

(6) विनियम 24.6.1 में, नीचे स्तम्म-1 में दिये गये उप विनियम (3) में खण्ड (पांच) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया उपचेंगा, अर्थात—

#### 40117-1

#### विद्यमान खण्ड

(पांच) । बालकनी (1.50 मीदर चीड़ाई तक, एफ०ए०आर० २० एक्त) का निर्माण सैटबैक में 8.00 मीटर की चौड़ाई का २५ ट गलियारा अम्निसुरक्षा हेतु छोड़ने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

(7) विनिधम 24.7.1 में, भीचे स्तन्नना में दिये गये उप विनियम (3) में खण्ड (पांच) के स्थान पर स्तम्म-2 में दिमा मुना खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्न

#### 44171-1

#### विद्यमान खण्ड

(मांग) बालकर्नी (1.50 मीटर चौड़ाई तक, एफ०ए०आर० से मुक्त) का निर्माण सैटबैंक में 6.00 मीटर की चौड़ाई का स्पष्ट गलियारा अग्निसुरक्षा हेतु छोड़ने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

#### रतम्भ-2

### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ0ए03ार0 में सम्मिलित नहीं की जायेगी। 1.5 मी0 सें अधिक और 3.0 मी0 चौड़ाई तक बालकनी के एक चौथाई क्षेत्रफल को एफ0ए0आर0 में सम्मिलित किया जायेगा। खुले सैटबैंक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बाउन्ट्री के साथ-साथ अग्नि शामक दल कें संचरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का उपहर स्थान उपलब्ध हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्ल के साथ लागू होंगे कि सैटबैंक के लिए आवंश्यकता का उल्लंधन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थागत हरित भू-उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

#### रतम्म-2

### एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ0ए0आर0 में सम्मिलत नहीं की जायेगी। 1.5 मी0 से अधिक और 3.0 मी0 चौड़ाई तक बालकनी के एक चौथाई क्षेत्रफल को एफ0ए0आर0 में सम्मिलत किया जायेगा। खुले सैटवैक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बाउन्ह्री के साथ साथ अग्नि शामक दल के संबरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का स्पष्ट स्थान उपलब्ध हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सैटवैक के लिए आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थागत हरित भू-उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

### रतमा-2

# एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई निक बालकनी की गणना एफ0ए03गर0 में सम्मिलित नहीं की जायेगी। 1.5 मी0 से अधिक और 3.0 मी0 चौड़ाई तक बालकनी के एक चौथाई क्षेत्रफल को एफ0ए03गर0 में सम्मिलित किया जायेगा। खुले सैटबैक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बाउन्ड्री के साथ साथ अग्नि शामक दल के संचरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का स्पष्ट स्थान उपलब्ध हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सैटबैक के लिए आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थागत हरित भू-उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

, (8) विनियम 26.6 में, नीचे रतम्म-1 में दिये गये उप विनियम (3) में खण्ड (पांच) के स्थान पर स्तम्भ-2 में विया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

#### रतम्म-1

### विद्यमान खण्ड

(पांच) यालकनी (1.50 भीटर चौडाई तक. एफ०ए०आए० से मुक्त) का निर्माण सैटबैक में 6.00 भीटर की नौडाई का स्पष्ट गलियारा अग्निसुरक्षा हेतु छोड़ते हुए किया जायेगा।

#### ्-स्मिन्त्र

### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(पांच) 1.50 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ0ए0आए० में सम्मिलित नहीं की जारेगी। 1.6 मी० से अधिक और 3.0 मी० चौड़ाई तक बालकनी के एक चौथाई क्षेत्रफल को एफ0ए0आए० में सम्मिलित किया जायेगा। खुले सैटबैक में बालकनी को निकाला जा सकेगा परन्तु बाउन्ड्री के साथ साथ अग्नि शामक दल के संबरण के लिए कम से कम 6.0 मीटर का सम्प्ट रथान उपलब्ध हो। उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सैटबैक के लिए आवश्यकता का उल्लंधन नहीं किया जायेगा और बालकनी से सम्बन्धित सपवन्ध कृषि और संस्थागत हरित मू-उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

# सायवान से सम्बन्धित विनियम में संशोधन

(1) नीचे रतम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.2.1, में उप विनियम (5) में खण्ड (1) के रथान पर रतम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

#### रतम्भ-1

### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिसके ऊपर किसी का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। केनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 2.4m. × 4.5m आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आच्छादन में गणना नहीं की जायेगी।

#### रतागा-2

### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या 4 में यथा उल्लिखित क्षेत्र का सायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। तदि सायवान पर कोई संस्वना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की गणना भूमि आच्छादन में नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू धोंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपवन्ध कृषि और संस्थागत हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.3.1, में उप विनियम (4) में खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

#### 1-14177

### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिसके ऊपर किसी का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। कंनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 24m. × 4.5m. आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आकादन में गणना नहीं की जायेगी।

#### स्तामा-2

### एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या 4 में यथा उल्लिखित क्षेत्र का सायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि सायवान पर कोई संरचना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की गणना भूमि आच्छादन में नहीं की जायेगी।

उपरोवत उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थागत हरित भूमि उपयोग के जिए लागू नहीं होंगे।

(3) नीचे रताम-1 े विये गये विनियम 24.4.1, के उप विनियम (4) में खण्ड (1) के स्थान पर रहामा-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### 1-14179

### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिसके ऊपर किसी का निर्माण अनुभन्य नहीं होगा। केनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 2.4m. × 4.5m. आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आच्छादन में गणना नहीं की जायेगी।

#### रताम-2

### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या 4 में यथा चल्लिखित क्षेत्र का सायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्त्रं नहीं होगा। यदि सायदान पर कोई संरचना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की गणना भूमि आच्छावन में नहीं की आयेगी।

उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपबन्ध कृषि और संस्थापत हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(4) नीचे रतम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.5.1, के उप विनियम (4) में खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### रताम-1

#### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिसके ऊपर किसी का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। केनोपी, जब प्रक्षप के रूप में निर्मित है तथा 2.4m. × 4.5m. आकार के जपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आच्छादन में गणना नहीं की जायेगी।

#### स्तमा-2

### एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या ४ में यथा उल्लिखित क्षेत्र का सायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्गाण अनुमन्य नहीं होगा। यदि सारायान पर कोई रांरचना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की गणना भूमि आच्छादन में नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपवन्ध कृषि और संस्थागत हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(5) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.6.1, के उप विनियम (4) में खण्ड (1) के रथान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### रतमा-1

#### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिसको ऊपर किसी का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। केनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 2.4m. × 4.5m. आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो संरचना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की इसकी भू-आच्छादन में गुणना नहीं की जायेगी।

#### रतम्म-2

# एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या 4 में यथा उल्लिखित क्षेत्र का शायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि सायवान पर कोई गणना भूमि आच्छादन में नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपवन्ध कृषि और संस्थागत हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

(6) नीचे रत्तमा-1 में दिशे गर्थ विनियम 24.7.1, के तप विनियम (4) में खण्ड (1) के ख्यान पर रत्तमा-2 में दिया गुरु। खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

### १-मिम्

#### निद्यमान खण्ड

(1) तालिका संख्या चार में यथा उहलेखित केनोपी परिक्षेप, जिसके ऊपर किसी का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। केनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 2.4m. × 4.5m. आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आच्छादन में गणना नहीं की जारोगी।

> सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्त्र नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित संपबन्ध कृषि और प्रांस्थायल हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

गणना भूमि आव्छादन में नहीं की जायेगी।

(7) नीचे रतम्म-1 में दिये गये विनियम 26.6 के उप विनियम (व) में खण्ड (1) के रथान पर रतम्म-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### रताग-1

#### विद्यमान खण्ड

(1) तालिका रांख्या चार में यथा उल्लेखित केनोपी परिक्षेप, जिराक्ते ऊपर किसी का निर्माण अमुमन्य नहीं होगा। केनोपी, यदि प्रक्षेप के रूप में निर्मित है तथा 24m. × 4.5m. आकार के ऊपर कोई निर्माण नहीं है तो इसकी भू-आक्लादन में गणना नहीं की जायेगी।

#### ₹ताम्भ-2

रताभ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

सायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का

निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि सायवान पर कोई

रांरचना नहीं है तो सायचान और इसके क्षेत्रफल की

जपरोक्त जपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि

(1) तालिका रांख्या 4 में यथा उल्लिखित क्षेत्र का

### एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) तालिका संख्या 4 में यथा उल्लिखित क्षेत्र का राायवान, प्रक्षेपण, सायवान के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि सायवान पर कोई संरचना नहीं है तो सायवान और इसके क्षेत्रफल की गणना भूमि आच्छादन में नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उपबन्ध इस शर्त के साथ लागू होंगे कि सायवान पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुभन्य नहीं होगा और सायवान का किसी अन्य रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। सायवान से सम्बन्धित उपक्ष कृषि और

संस्थागत हरित भूमि उपयोग के लिए लागू नहीं होंगे।

भवन / परियोजनाओं के उपबन्धों में संशोधन

(क) विनियम 24.8 में उप विनियम (14) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा. अधीत-

#### 77[77]-1

### विद्यमान लग विनियम

१४-जो आचेदक ५००० वर्ग मीटर आधवा इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित करेगा उसका अनुगन्य एकवएवआरव/ वयलब्ध एकवएवआरव का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ०ए०आर० (फर्शीय तल होत्र असुपात) निःशुल्क अनुमन्य होगा (इस एफ०ए०आर० में युनिधा का 15 प्रतिशत समिलित नहीं होगा), यदि वह निम्नलिखित शर्ल पूर्ण करता है-

ं (1) मवन पूर्ण कर लिया गया है एवं लीड द्वारा भवन को गोल्ड या प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गयी है।

- (2) भवन की संस्तुति ब्यूरो ऑफ इनर्जी एकिशियेंसी भारत रास्कार हारा प्रदत्त है।
- (3) मतन द्वारा प्रचलित पाकिंग एवं भू-दृश्य की विनियमों का पालन किया गया है।
- (4) आवेदक ने अतिरिक्त एफ०ए०आर० के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है।

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विशियम

१४-ची आवेदक ५००० वर्ग मीटर अत्थल इससे अधिक के भुखण्ड पर चीन भवन निमित्त करेगा उसका अनुगन्य एफ०ए०आएं०/उपलब्ध एफ०ए०आर० का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ०ए०आए० (फर्शीय तल क्षेत्र अनुपात) निःशुल्क अनुमन्य होगा (इस एफ०ए०आए० में सुविधा का 15 प्रतिशत सम्मिलित नहीं होगा), यदि वह निम्नलिखित शर्त पूर्ण करता है-

(एक) भवन/भवन के डिजाइन को 'लीड' तारा गोल्ड या प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गयी है. या

भवन या भवन के डिजाइ: को भारत सरकार द्वारा निकसित भीन रेटिंग फार इन्टीग्रेटेंड हैविटैंट एसाइनमेन्ट हारा 4 रटार या 5 स्टार की रेट्रिंग प्रदान की गयी है।

- (दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू-दृश्यावली मानकों को पूर्ण करते हुए भवल का निर्माण पुणे कराया गया है।
- (तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ०ए०३nए० के उपयोग के लिए पर्याप्त प्राविधान किया है।

टिप्पणी-आवेदक को ग्रीन भवन हेतु लीड/प्यूरी ऑफ एनजी एफिशियेन्सी द्वारा हर तीन वर्ष में आजा पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त, कर प्रेषित करना होगा। अगर उसके हारा यह प्रमाण-पत्र प्राधिकरण में प्रेपित नहीं किया जाता है तो एक मार के नोदित पर प्राधिकरण द्वारा उसकी िःशुल्क प्रदत्त एफ०ए०आर० का प्रशासन शुल्क क्रय योग्य एफ0ए03गर० का 200 प्रतिगत की दर से वसूल किया जा राकता है।

(ख) विनियम (15) के पश्चाल निम्नलिखित विनियम बढा दिया जायेगा, अर्थात :-

टिप्पणी-आवेदक को भवन के लिए लीड / ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण-एव प्रस्तृत करना है। ऐसा प्रगाण-पन्न प्रस्तृत करने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण उसे एक माह की नोटिस वेने के बाद क्रय थींग्य एफ०ए०आए० की लागत का 200 प्रतिशत की वर से निःशल्क वी गई एफ०ए०आर० का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है।

(17) जिन गवनों की जवाई 30.0 मीठ से अधिक है (जहां एअरपोर्ट अथोरिटी से अनापित प्राप्त करना अनियार्थ है) एवं जिल भवनों का निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग गी० से अधिक है (जहां र्अआई०ए० प्राप्त करना अधिवार्य है), उनके गवन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा संशर्त रवीकृत किये जा सकते हैं। यह व्यवस्था इस शर्त के राध अनुमन्य होगी कि सुसंगत अधिनियम के अन्तर ह पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने कं उपरान्त ही निर्माण कर्स्य प्रारम्भ कराया जायेगा राजा 30 मीठ रो अधिक ऊंचाई के निर्माण कार्य एअरपोर्ट अधारिटी से अनापरित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही किया जा राक्ता।

# तालिका-४ और तालिका-५ का संशोधन

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी हालिका-4 और 5 के ख्यान पर स्तम्भ-2 में दी गयी तालिका रख दी जायेगी. अर्थात-

तालिका-४ (विनिधम 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 24.7 वेखें)

भू-खण्डो पर व्यक्तिगत आवासीय भवनों से भिन्न भवनो

लालिका-4

(विनियम 24.1 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 24.7 तथा 26.6 देखें)

भ्-खण्डों पर सायवान के आधीन क्षेत्र

	पर सायवान के अधीन	होत्र			*
oop oiv		सायवान के अधीन अधिकतम क्षेत्र (वर्गमींटर में)	я/0 <del>1</del> 10	भू-रवण्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सायवान के अधीन अधिकतम क्षेत्र (वर्गमीटए में)
1	160 লক	शून्ध	1	500 तक	40
2	150 से अधिक 300 तक	12 वर्ग मीटर (केंदल पार्श सैटबैक में)	2	500 से अधिम 4,000 तक	. 80
3.	300 से अधिक 500 तम	25	3	4,000 से अधिक 20,000 तक	130
4	500 भे अधिक 2,000 तक	40	4	20,000 से अधिक	200
12	2,000 से अधिक 4,000 तक	55		13	
0	4,000 से अधिक 10,000 तक	70			
7	10,000 रो अधिक20,000 तक	85			**
В	20,000 से अधिक 40,000 तक	100	100		47
9	40,000 से अधिक	115			

टिप्पणी-सायवान की न्यूनतम् चोडाई 1.8 मीटर दिप्पणी-

होगी।

1-10.0 मीटर चौडाई तक सायवान के क्षेत्रफल की एफ०ए०आरं० में गणना नहीं की जायेगी। 10 मीटर से अधिक चौडे क्षेत्रफल की गणना सार्मान्य सेवाओं के लिए अनुमन्य 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफ०ए०आए० में की जायेगी।

# तालिका-६ पार्किंग अपेक्षाओं हेतु प्रावधान

# ्तालिका-5 पार्किंग अपेक्षाओं हेतु प्रावधान

क्त सं	০ গ্ৰন/গু-অত্ত	पार्किंग स्थान	oly on	भवनं/भू-खण्ड	पार्किंग रथान
1	2	3	1	2	3
1	(क) सागृहिक आवास	अनुबन्ध एफ०ए०आए० के प्रति ६०.० धर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल	1	(क) सामूहिक आवास	प्रति ८०.० वर्ग मी० प्रति अनुमन्य एफ०ए०आर० के एक ई०सी०एस० पार्किंग स्थल
	(ध) लॉज, अतिथि गृह, होटल	प्रत्येक 2 अतिथि कक्षों के लिए एक पार्किंग स्थल		(ख) लॉज, अतिथि गृह, होटल, छात्रावास	प्रत्येक अतिथि कक्षों के लिए एक पार्किंग स्थल
2	शैक्षिक शयन	अनुमन्य एफा०ए०आए० के प्रति 100 वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल	2	शैक्षिक भवन	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग गी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
	(क) आईवटीव / आईवटीवईवएसव आफिस एवं संस्थान	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 50 वर्ग गी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल		(क) आई०टी०/ आई०टी०एस० आफिस एवं संस्थान	अनुनन्य एफ०ए०आर० के प्रति ६० वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पाक्षिंग स्थल
	(आ) प्रेक्षागृह	प्रति 15 सीटों (कुर्सियों) के लिए 1 पार्किंग स्थल		(ख) प्रेक्षागृष्ट	प्रति 15 सीटों (कुर्सियों) के लिए 1 पार्किंग स्थल
	(al) sixt	आच्छावित क्षेत्र के प्रति 780 वर्ग मीटर पर बरा खड़ा करने का रथत		(ग) बस पार्किंग	अनुमन्य एफ०ए०आए० के ा त 750 वर्ग मीटर पर बस खड़ा करने का रथल
	(ध) ऑफ स्ट्रीट पार्किंग	उच्चतार माध्यमिक विद्यालय के लिए सम्पूर्ण अन्टेज में 4.5 फिट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग गहराई के साथ पीछे की ओर खिराकाई गई घहारवीयारी तथा सामने का सैटबैक सम्पत्ति रेखा से माना जायेगा तथा अन्य संस्थाओं में प्लाट के सामने की धौड़ाई के आधे में 4.5 फिट तक ऑफ स्ट्रीट पार्किंग देने के लिए अपेक्षित होगा।		(घ) ऑफ स्ट्रीट पार्किंग	निकाल दिया गया।
,	(च) आवासीय क्षेत्र की पार्किंग	112 वर्ग मी० तथा इससे अधिक बड़े भूखण्डों पर अनुमन्य एफ०ए०आए० के प्रति 150 वर्ग मी० क्षेत्रफल पर एक कार पाकिंग रथल।		(अ) आयासीय क्षेत्र	112 वर्ग मीठ तथा हरासे अधिक बज्जे भूखण्डी पर अनुमन्य एफठएठआएठ के प्रति 150 वर्ग मीठ क्षेत्रफल पर एक कार पार्किंग रथल।
3	शिकिस्सकीय	(क) अनुमन्य एक०ए०आए० के प्रति ६४ वर्ग गी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल	3	चिकित्सकीय	(क) अनुमन्ध एफ०ए०आए० के पति वव वर्ग गी० क्षेत्र पर एक पाकिंग स्थल
	2	(ख) अनुमन्य एफा०ए०आर० के प्रति 375 वर्ग मी० क्षेत्र पर एक एम्बुलेंस	ř		(ख) अनुगन्ग एफ०ए०आए० के प्रति 376 धर्ग मी० क्षेत्र पर एक एम्युलेंश

1	2 -	3 .	1	2	3
4	वाणिज्यिक .	अनुमन्य एफ०ए०आस० के प्रति ३० वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पाकिंग स्थलः		वाणिज्यिक	अनुमन्य एफ0ए०आर० के प्रति 50 वर्ग गी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
5	औद्योगिक	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग गी0 क्षेत्र पर एक पार्किंग रथल		औ <b>द्यो</b> गिक	अनुमन्य एफ०ए०आर० वे प्रति १०० वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
6	भण्डारण	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति १०० वर्ग भी० क्षेत्र पर एक पार्किन स्थल		भण्डार्ण	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग मी0 क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
7	औद्योगिक एवं भण्डारण भवनों के लिये लोखिंग (लदाई कार्य) तथा अनलोडिंग (उत्तराई) स्था	अनुमन्य एफ०ए०आर० मे प्रति १०० वर्ग भी० क्षेत्र पर एक पार्किंग रथल न		औद्योगिक एवं भण्डारण भवनों के लिये लोडिंग (लदाई कार्य)/ अनलोडिंग (जतराई) रथान	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग मी0 क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
8	सिनेमा / मल्टीप्लेक्स	प्रत्येक १५ सीट पर एक पार्किंग रथल	8	रिानेगा / मल्टीप्लेक्स	प्रत्येक 15 सीट पर एक पार्किंग स्थल
9	धार्मिक	अनुमन्य एफ0ए०आए० के प्रति 100 वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल		घार्मिक	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग मी0 क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
10	यूटिलिटी (उपयोगिताएं) दमकल स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर, टैक्सी स्टैण्ड	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग भी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल	10	्यृटिलिटी (उपयोगिताए) (दमकल स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर, टेक्सी स्टैण्ड आदि)	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 100 वर्ग मी० क्षेत्र पर
11	मनोरंजन केन्द्र	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 50 वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग रथल		मनोरंजन केन्द्र	अनुमन्य एफ०ए०आर० के प्रति 50 वर्ग मी० क्षेत्र पर एक पार्किंग स्थल
12	एक ई०सी०एस०	13,75 वर्ग मी0	12	आवासीय (प्लैट्स तथा सामूहिक आवास के अतिरिक्त)	112 वर्ग गी० तथा इससे अधिक बड़े भूखण्डो पर अनुगन्य एफ०ए०आर० के प्रति 150 वर्ग नी० क्षेत्रफल
13	क्षेत्र की आदश्यकता	भूगेह/रिटल्ट/आच्छादित पार्किंग में प्रत्येक ई०सी०एस० के लिए २०.० वर्ग मी० तथा खुले क्षेत्र में घरात्तलीय पार्किंग के लिए २०.० वर्ग मी०		क्षेत्र की आवश्यकता	पर एक कार पार्किंग रथल। भूगेह/स्टिल्ट/पोडियम आच्छादित पार्किंग में प्रत्येक ई०सी०एस० के लिए 30.0 वर्ग मी० तथा खुले क्षेत्र में धरातलीय पार्किंग के लिए 20.0 वर्ग मी०

1-इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी जहां किसी एक विशेष हुए भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी जहां किसी एक रोक्टर तथा किसी गवन/भूखण्ड के सामने के मार्ग की विशेष रोक्टर तथा किसी भवन/भूखण्ड के सामने के चौड़ाई तथा गहायोजना के सन्दर्भ में ऐसा करना हिसकर रामहों तो राभी मुख्य परियोजनाओं में किसी विशेष के लिए करना हितकर समझें तों सभी मुख्य परियोजनाओं में विस्तृत वास्तुकलात्मक नियंत्रण मानचित्र तैयार करने के किसी विशेष के लिए विस्तृत वास्तुकलात्मक नियंत्रण लिए आदेशित कर सकता है। विशेषतः इस प्रकार की गैर. मानचित्र तैयार करने के लिए आदेशित कर सकता है। आवासीय प्रकृति की योजनाओं के लिए जो कि इस विशेषतः इस प्रकार की गैर आवासीय प्रकृति की विनियमावली के प्राविधानों से आंशिक रूप से अथवा योजनाओं के लिए जो कि इस विनियमावली के प्राविधानों पूर्णरूप से भिन्न हो इस उद्देश्य के लिए मुख्य से आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से भिन्न हो इस कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा उद्देश्य के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक राकता है जो अन्तिम निर्णय के लिए अपनी आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रागक्ष प्रस्तुत करेगी।

टिप्पणी-

(एक) इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते मार्ग की चौड़ाई तथा महायोजना के सन्दर्भ में ऐसा कमेटी का गठन किया जा सकता है जो अन्तिम निर्णय के लिए अपनी आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

2-विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुमति के आधार पर ऊंचे भवनों पर हैलीपेड अनुमन्य किया जा सकता है।

3-प्रस्तावित चरणवद्ध विकास के आधार पर होगा।

4-वाहनों को खड़ा करने का मानक समय समय पर का प्राविधान कपना होगा।

- (दो) विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुमति के आधार तथा आई०आई०टी० / एन०आई०आई०टी० से स्ट्रंक्चरल पर तथा आई०आई०टी० / एन०आई०आई०टी० से स्ट्रंक्चरल सुरक्षा की अनापत्ति के उपरान्तं 60.0 मीटर से अधिक से सुरक्षा की अनापत्ति के उपरान्त 60.0 मीटर से अधिक से ऊंचे भवनों पर हैलीपेख अनुमन्य किया जा सकता है।
- (तीन) प्रश्ताधित घरणवद्ध विकौस के आधार पर रामानुपातिक रूप में बाहनों को खड़ा करने की सुविधाएं समानुपातिक रूप में वाहनों को खड़ा करने की सुविधाएं विकसित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है विकसित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है लथापि वाहनों को •खड़ा करने की सुविधाओं को प्रावधान तथापि वाहनों को खड़ा करने की मुविधाओं का प्रावधान अधिकतम अनुमन्यं एफ०ए०आए० के आधार पर करना अधिकतम अनुमन्य एफ०ए०आए० है आधार पर करना होगा।

(चार) वाहनों को खजा करने का मानक समय समय पुनरीक्षित किये जाते हैं नये प्रस्तावित निर्माण के लिए पर पुनरीक्षित किये जाते हैं नये प्रस्तवित निर्माण के लिए वाहनों को खड़ा करने का प्राविधान पुनरीक्षित मानकों के वाहनों को खड़ा करने का प्राविधान पुनरीक्षित मानकों के आधार पर करना होगा। पुराने मानकों के आधार पर पुराने आधार पर करना होगा। पुराने मानकों के आधार पर पुराने निर्माण के लिए विकसित की गयी वाहन खड़ा करने की निर्माण के लिए विकसित की गयी वाहन खड़ा करने की स्विधाएं जारी रखना अनुमन्य किया जा सकता है यदि स्विधाएं जारी रखना अनुमन्य किया जा सकता है यदि वाहनों को खड़ा करने के लिए कोई सुविधा विकसित नहीं वाहनों को खड़ा करने के लिए कोई सुविधा विकसित नहीं की गयी है, पूर्ण पुराने तथा प्रस्तावित निर्माण के लिए नये की गयी है, पूर्ण पुराने तथा प्रस्तावित निर्माण के लिए नये मानकों के आधार पर वाहनों को खड़ा करने की सुविधा मानकों के आधार पर वाहनों को खड़ा करने की सुविधा का प्राविधान करना होगा।

> (पांच) सभी भवनों में आगन्तुकों के लिए पार्किंग उपयन्ध भूखण्ड पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। भूखण्ड को समीप किसी सड़क को मार्गाधिकार पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। यदि आवंटी के पास, आवंटित भूखण्ड के पास कोई अतिरिक्त भृष्यण्य है और उस भृष्यण्ड पर अपनी पार्किंग आवश्यकला पूर्ण करने के उपरान्त अतिरिक्त पार्किंग के लिए एथान उपलब्ध है तब आवंटी को नजदीक को उस उपलब्ध भूखण्ड पर पार्किंग अनुमन्य की जा सकती है।

> (छ:) यदि पूराने भवन विनियमों वः उपबन्धों के अधीन रबीयात मानचित्र के अनुसार व्यक्तिगत आवासीय भवन में भूतल का निर्माण किया जाता है तब प्राधिकरण ऐसे भवनों में पार्किंग आवश्यकलाओं में छूट की अनुमति दे सकता है। यह उपवन्ध तत्समय प्रचलित विनियमों के अधीन स्वीकृत मानचित्रों / नवशों के लिए ही लाग होगा। अतिरिक्त एफ०ए०आए० के किसी मानले में केवल , पन विनियम ही लागू होगा।

> (शात) भवन में प्रवेश के लिए सैटवैक क्षेत्र में भी रैम्प अनुमन्य किया जायेगा। रौटबैक के नीचे ऐम्प का निर्माण केवल ऐसे निर्वश्यमों पर अनुमन्य किया जायेगा कि अग्नि शामक और अन्य यानों के संचरण की आवश्यकताओं कें लिए भवन के चारों ओर कम से कम 6 मीठ चौडाई किसी प्रकार के रुकावट से पूर्णतः मुक्त होगी।

> > एस० के० विवेसी. गुख्य कार्यगालक अधिकारी,

### NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH December 23, 2011

No. Noida/Mu-Va-Ni./2011/1590, -- In exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 and section 19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following Regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010:

### THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (SECOND AMENDMENT), REGULATIONS, 2011

- 1. Short title and commencement—(1) These regulations shall be called the New Okhla Industrial Development Area Bullding (Second Amendment) Regulations, 2011.
  - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
- Amendment in regulations—In the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010, hereinafter referred to as the said regulations, amendments in the regulations relating to balcony, canopy and general provision for building/projects are hereby made separately as follows:

#### AMENDMENTS IN REGULATIONS RELATING TO BALCONY

(1) In regulation 24.1, in sub-regulations (2) in clause (viii) for sub-clause (viii) set out in Column-1 below, the sub-clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

#### Column-1

Existing sub-clauses

(viii) Be anies (upto 1.50mtrs, width, if proposed, then 1/4th of its area shall be counted in FAR), Cupboard (0.60m. wide), Staircase, Lift, Munty for staircase, and Bay windows.

#### Column-2

Sub-clauses as hereby substituted

(viii) Balconies upto 1.50mtrs. width shall Balcony of more than 1.50mtrs. width is not be included in the calculation of FAR, onefourth area of more than 1.50 metre and upto-3.0 mtrs. wide balcony shall be included in FAR. Cupboard (0.60mtrs. wide), Staircase, Lift, Mumty for staircase, and Bay windows. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(2) In regulation 24.2.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

### Column-1

Existing clauses

(v) Balconies upto 1.50 metres free from FAR (in case it is more than 1.50m., 1/2 of area beyond 1.5m. shall be included in FAR) may be projected in open set backs provided 6mtrs. clear space is available for fire tender movement.

#### Column-2

Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1.50mtrs, width shall not be included in the calculation of FAR, onefourth area of more than 1.50 mtrs, and upto 3.0 mtrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mtrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(3) In regulation 24.3.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### . Column-1

### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6mtrs. clear space is available for fire tender movement.

(4) In regulation 24.4.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-1

### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6mtrs, clear space is available for fire tender movement.

# Column-2

Column-2: Clauses as hereby substituted

be included in the calculation of FAR, one-

fourth area of more than 1.50 mtrs. and upto 3.0

mitrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mitrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the setback will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the

(v) Balconies upto 1.50 mtrs, width shall not

### Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1.50 mtrs, width shall not be included in the calculation of FAR, one-fourth area of more than 1.50 mtrs, and upto 3.0 mtrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mtrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(5) In regulation 24.5.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

### Column-1

#### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6mtrs, clear space is available for fire tender movement.

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1.50mtrs, width shall not be included in the calculation of FAR, one-fourth area of more than 1.50 mtrs, and upto 3.0 mtrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mtrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(6) In regulation 24.6.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

### Column-1

### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6 mtrs, clear space is available for fire tender movement.

(7) In regulation 24.7.1, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-1

#### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6mtrs, clear space is available for fire tender movement.

### Column-1

#### Existing clauses

(v) Balconies (upto 1.5 metres width) free from FAR may be projected in open set backs provided 6mtrs, clear space is available for fire tender movement.

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1.50 mtrs. width shall not be included in the calculation of FAR, one-fourth area of more than 1.50 mtrs. and upto 3.0 mtrs. wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided. 6.0 mtrs. clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1,50mtrs, width shall not be included in the calculation of FAR, one-fourth area of more than 1.50 mtrs, and upto 3.0 mtrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mtrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(8) In regulation 26.6, in sub-regulation (3) for clause (v) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(v) Balconies upto 1.50mtrs, width shall not be included in the calculation of FAR, one-fourth area of more than 1.50 mtrs, and upto 3.0 mtrs, wide balcony shall be included in FAR. Balcony may be projected in open set backs provided, 6.0 mtrs, clear space is available for fire tender movements along the boundary wall. The above provision shall be admissible with the condition that the requirement for the set back will not be violated and the provision relating to balcony shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

### AMENDMENTS IN REGULATIONS RELATING TO CANOPY

(1) In regulation 24.2.1, in sub-regulation (5) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-1

### Existing clauses -

(1) Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over the eanopy. Canopy, if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m. shall not be counted in ground coverage.

(2) In regulation 24.3.1, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-1

### Existing clauses

(1) Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m, × 4.5m, shall not be counted in ground coverage.

(3) In regulation 24.4.1, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

### Column-1

### Existing clauses

(1) Canopy projections of area as mentioned . in table 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy, Canopy, cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m. shall not be counted in ground there is no structure on the earlopy. coverage.

### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canopy.

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy, Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canopy.

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(4) In regulation 24.5.1, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

#### Column-1

### Existing clauses

(1) Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m. shall not be counted in ground coverage.

(5) In regulation 24.6.1, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Column-1

### Existing clauses

(1) Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m, shall not be counted in ground coverage.

clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

#### Column-1

### Existing clauses

(1) Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, If cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m, shall not be counted in ground coverage.

#### Column-2

#### Clauses as hereby substituted

(1) Canopy projections of area as mentioned ir table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canopy.

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

#### Column-2

### Clauses as hereby substituted

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canony,

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(6) In regulation 24,7.1, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the

### Column-2

### Clauses as hereby substituted =

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canopy.

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

(7) In regulation 26.6, in sub-regulation (4) in clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

### Column-1

Existing clauses

 Canopy projections of area as mentioned in table 4, no construction of any type shall be permitted over these canopy. Canopy, if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4m. × 4.5m. shall not be counted in ground coverage.

Column-Z

Clauses as hereby substituted.

(1) Canopy projections of area as mentioned in table no. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy, its area shall not be counted in ground coverage, if there is no structure on the canopy.

The above provision shall be admissible with the condition that any type of construction on Canopy will not be permitted and the Canopy will not be used in any other form. The provision relating to canopy shall not be applicable to the Agricultural and Institutional green land usage.

AMENDMENT IN GENERAL PROVISIONS FOR BUILDING/PROJECTS

(a) In regulation 24.8, for sub-regulation (14) set out in Column-1 below, the sub-regulation as set out in Column-2 shall-be substituted, namely:

#### Column-1

Existing sub-regulation

(14) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000sq. mtrs. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional 15% of prescribed FAR for services), free of cost, provided that the applicant fulfils the following conditions:

(i) The Building is completed and rated by Leadership in Energy Environmental Design (LEED) as Gold

or Platinum.

(11) The Building is recommended by the Bureau of Energy Efficiency, Sovernment of India for the movision of energy efficiency.

(iii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping norms of the prevailing regulations.

(iv) The applicant has made sufficient provisions for using the additional FAR.

NOTE-The applicant has to submit a certificate of compliance of green building from Leadership in Energy and Enviornmental-Design (LEED)/Bureau Energy of Efficiency after every three years. In case he fails to submit this certificate, the Authority, after giving him one month notice, may charge the compounding fees of the FAR given free of compounding fees of the FAR given free of cost at the rate of 200% of the cost of cost at the rate of 200% of the cost of purchasable FAR. purchasable FAR.

### Column-2

Sub-regulation as hereby substituted

(14) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000sq. mtrs. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional 15% of prescribed FAR for services), free of cost, provided that the applicant fulfils the following conditions:

(1) The building/design of the building is rated by Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as Gold or Platinum or the Building/Design of the building is rated as 4 or 5 star by the 'Green Rating for Integrated Habitat developed by Assignment'

Government of India.

(ii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping morne of the prevailing regulations.

(iii) The applicant has made sufficient provisions for using the additional FAR.

NOTE--The Applicant has to submit a rating certificate for the building from LEED/GRIHA and a certificate of compliance is to be submitted after every five years. In case he fails to submit this certificate, the Authority, after giving him one month notice, may charge the

(b) after regulation (16) the following sub-regulation shall be inserted, namely:

(17) The Authority may approve the conditional building plan in cases where height of building is more than 30 metres (where No Objection Certificate from the Airport Authority is necessary) and where built up area is more than 20,000 sq. mtrs. (where obtaining E.I.A. is required). This provision will be permitted on the condition that the construction work will be started only after getting Environmental No Objection Certificate under relevant Act and the construction work beyond the height of 30 mtrs. shall be done after getting No Objection Certificate from Airport Authority.

### Amendment of Table nos. 4 and Table 5

In the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010 hereinafter referred to as the said regulations, for tables nos. 4 and 5 set out in Column-1 below, the table as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

#### Table no.-4

(See regulation 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7)

### Table no.-4

(See regulation 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7 & 26.6)

Area under canopy in buildings other than

Area under canopy in the plots

	residential outlding	5			
Sl. no.	Plot size (in square metre)	Maximum area under canopy (in sq. mtrs.)	Sl. no	Plot size (in square metre)	Maximum area under canopy (in sq. mtrs.)
1	2	3	1	2	3
1	Upto 150	Nil	1	Upto 500	40
2	Above 150 upto 300	12 (only in	2	Above 500 upto 4000	80
		side set back)			
3	Above 300 upto 500	25	3	Above 4000 upto 20,000	130
4	Above 500 upto 2000	40	4	Ahove 20,000	200
5	Above 2000 upto 4000	55			
6	Above 4000 upto 10,000	70			
7	Above 10,000 upto 20,000	85			
8	Above 20,000 upto 40,000	100			
9	Above 40,000	115			¥

NOTE--Minimum width of canopy shall be

NOTE--Area under a canopy upto 10 mtrs. width shall not be counted in F.A.R. Area of more than 10 mtrs. width shall be counted in the 15% additional F.A.R. allowed for common services.

Table no.-5

Table no.-5

	Provision of Park	ing Requirement		Provision of Parkin	
SI.	Building/Plot	Parking space	SI, no.	Building/Plot	Parking space
1	2	3	1	- 2	3
Ī	Group Housing	One ECS/Parking space per 80 square metres of area permissible FAR	-1	Group Housing	One ECS/Parking space per 80 square metres of area permissible FAR
	Hostel, Lodges, Guest House, Hotel	One parking space for every guest rooms.		Hostel, Lodges, Guest House, Hotel	One parking space for every guest rooms.
2	Education Building	One parking space for every 100 square metres of permissible FAR area		Education! Building	One parking space for every 100 square metres of permissible LAR area
	(a) IT/ITES, Offices and Institution.	One parking space for 50 square metre of permissible FAR area		(a) IT/ITES, Offices and Institution	One parking space for 50 square metre of permissible FAR area
	(b) Auditorium	One parking space per 15 seats		(b) Auditorium	One parking space per 15 seats
	(c) Bus parking	One bus parking per 750 square metre of permissible FAR area.		(c) Bus parking	One bus parking per 750 square metre of permissible FAR area.
	(d) Off-street parking	Higher Secondary School 4.5 mtrs. off-street parking depth in the entire frontage with boundary wall shifted back and front set back will be considered from		(d) Off-street parking	Deleted
	*	property line and in other institutions upto 4.5 mtrs. in half the width of the front of the plot would be			14
		required for providing off- street parking on roads of 18.0 mtrs. or more width.			
	(e) Residential area	One parking space per 150 sq. mtrs. of permissible FAR area, in plot size of 112 sq. mtrs. and above,		(e) Residential area	One parking space per 150 sq. mtrs. of permiss. FAR area, in plot size of 112 sq. mtrs. and above.
3	Medical	One parking space for every 65 sq. mtrs. of permissible FAR area.  One ambulance for every 375 sq. mtrs. of permissible FAR area.	3	Medical	One parking space for every 65 sq. mtrs. of permissible FAR area. One ambulance for every 375 sq. mrs. of permissible FAR area.
4	Conuncreial	One parking space for 30 sq. mtrs. of permissible FAR area.	4	Commercial	One parking space for 50 sq. mtr. of permissible FAR aren.

1	2	3	1	2	3
5	Industrial	One parking space per 100 sq. mtrs. of permissible FAR area.	5	Industrial	One parking space per 100 sq. mtrs. of permissible FAR area.
6	Storage	One parking space for 100 sq. mtrs. of permissible FAR area.	6	Storage	One parking space for 100 sq. mfrs. of permissible FAR area.
7	Loading/Un-loading	One parking space for every 100 sq. mtrs. for industries and Storage Building.	7	Loading/Un-loading for industries and storage building	One parking space for every 100 sq. mtrs.
8	Multiplex/Cincina	One parking space per 15 seats	8	Multiplex/Cinema	One parking space per 15 seats
9	Religious	One parking space per 100 sq. rates, of permissible FAR area.	9	Religious	One parking space per 100 sq. mtrs. of permissible FAR area.
10	Utilities (Fire Station, Police Stations, Post Office, Taxi Stand, etc.)	One parking space per 100 sq. ritrs, of permissible FAR area.	10	Utilities (Fire Station, Police Stations, Post Office, Taxi Stand, etc.)	One parking space per 100 sq. mtrs. of permissible FAR area.
11	Recreational	One parking space per 59 sq. mirs, of permissible FAR area.	11	Recreational	One parking space per 50 sq. mtrs, of permissible FAR area.
12	One ECS	13.75 sq. murs.	12	Residential (Except flats and Group Housing)	One car parking space per 150 sq. mtrs. of permissible FAR area, in plot size of 112 sq. mtrs, and above.
13	Area Requirement	30 sq. nutrs per ECS in basement/stilt/podium/ covered parking and 20 sq. mtrs. for surface parking,	13	Area Requirement	30 sq. mtrs, per ECS in basement/stilt/podium/ covered parking and 20 sq. mtrs. for surface parking.

NOTE—(I) Notwithstanding anything contained in these directions regulations the Chief Executive Officer may where having regard to the features of a particular sector and the width of a road abutting any building/plot and the Master Plan consider it expedient to do so order for the preparation of architectural control detailed drawing for any of all the major projects specifically, especially of non residential character which may or may not deviate partly or wholly from the provisions of these regulations. For such purpose, Chief Executive Officer may constitute a committee, which shall submit its report to him for final decision.

(II) Helipad may be permitted on the roof top of buildings above 60 mtrs. height subject to the clearance from Airport Authority and structural safety from LLT/N.LT. NOTE——(I) Notwithstanding anything contained in these directions/regulations the Chief Executive Officer may where having regard to the features of a particular sector and the width of a road abutting any building/plot and the Master Plan consider it expedient to do so order for the preparation of architectural control detailed drawing for any of all the major projects specifically, especially of non-residential character which may or may not deviate partly or wholly from the provisions of these regulations. For such purpose, Chief Executive Officer may constitute a committee, which shall submit its report to him for final-decision.

(II) Helipad may be permitted on the roof top of buildings above 60 mtrs. height subject to the clearance from Airport Authority and structural safety from LLT./N.LT.

- (III) Development of parking facilities may be permitted proportionately on the basis of proposed phasewise development. However, provision of parking facilities has to be made on the basis of maximum permissible F.A.R.
- (IV) Parking norms are revised from time to time. Parking facilities have to be provided on the basis of revised norms for new proposed construction. Parking facility developed on the basis of old norms for old construction may be allowed to continue. If no parking facility has been developed, provisions have to be made on the basis of new norms for the entire old and proposed construction.
- (III) Development of parking facilities may be permitted proportionately on the basis of proposed phasewise development. However, provision of parking facilities has to be made on the basis of maximum permissible F.A.R.
- (IV) Parking norms are revised from time to time. Parking facilities have to be provided on the basis of revised norms for new proposed construction. Parking facility developed on the basis of old norms for old construction may be allowed to continue. If no parking facility has been developed, provisions have to be made on the basis of new norms for the entire old and proposed construction.
- (V) Parking provisions for visitors in all the buildings shall be provided on the plot itself. Parking shall not be allowed on right of way of a road near the plot. If allottee has an additional plot near the allotted plot and space is available for additional parking on that plot after fulfilling its parking requirement, the allottee may be allowed parking on that nearby available plot.
- (VI) In case the construction of ground floor in the individual residential building has been done as per the map sanctioned under the provisions of old building regulations, the Authority may allow the relaxation of parking requirements in these buildings. This provision will be applicable only for those maps sanctioned under the regulations prevailing at that time, In any case of additional F.A.R. only the present regulation will be applicable.
- (VII) Ramp may be allowed in the set back area also for entrance in the building. The construction of the Ramp under set back will be permitted only on that restriction that the 6 mtrs. minimum width around the building will be totally free from hindrance for the requirement of movement of fire exitinguishing and other vehicles.